



# शासकीय महाविद्यालय, रत्नपुर

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

## नवीनीकरण प्रवेश आवेदन पत्र

स्नातक/स्नातकोत्तर (केवल महाविद्यालयीन के नियमित छात्र हेतु)

प्र.क्र. .... ब्राह्मणक. .... दिनांक .....

.....
-------

1. पाठ्यक्रम /कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए .....
2. उस वर्ग का नाम जिसमें आप आते हैं सा./पि.वर्ग/अ.जा./अ.जनजाति लिंग (महिला / पुरुष/तृतीय लिंग) .....
3. आवेदक का नाम श्री/कु./श्रीमती .....
4. पिता/पति का नाम .....
5. माता का नाम .....
6. जन्मतिथि ..... शब्दों में .....
7. जाति .....
8. ब्लड ग्रुप .....
9. आवेदक द्वारा लिये जाने वाले विषयों के नाम .....
  
10. पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष/मोबाइल सहित .....
  
11. स्थायी पता .....
  
12. स्थानीय पता .....
  
13. पिछली अंकसूची की फाटो कापी 1. दसवी एवं बारहवीं एवं पिछली अंकसूची की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
14. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र पिछली कक्षा में गेप होने प्रमाण पत्र आदि की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।

15 आवेदन कर्ता का दाया उत्ति      16 लैंक खाता का दाया उत्ति  
हस्ताक्षर प्रवेश समिति

शासकीय समीद क्र. .... दिनांक .... राशि .....

अशासकीय समीद क्र. .... दिनांक .... राशि .....

हस्ताक्षर शुल्क लिपिक

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्राचार्य

## छात्र/छात्रा का आश्वासन पत्र

1. मैं ..... (छात्र का नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित)  
पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/.....

शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐंगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की। उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और ऐंगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।
3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं ऐंगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ या घट्यंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि –
  - (अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी जो कि कंडिका-3 के नियम के अंतर्गत ऐंगिंग की श्रेणी में आता हो।
  - (ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूँगा/बनूँगी जो कंडिका-3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।
5. मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं ऐंगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और ना ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही ऐंगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहयता करने या घट्यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा का दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....

कक्षा .....

मो.नं. ....

### सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) ..... (दिन) ..... (माह) ..... (वर्ष) .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

## माता-पिता/अभिभावक का आश्वासन पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती ..... (माता-पिता/अभिभावक का नाम, प्रवेश, पंजीयन/खत्र का पूरा नाम, प्रवेश, पंजीयन)
- (श्री/कु.) .....  
सहित) शासकीय महामाया महाविद्यालय रत्नपुर, ज़िला-बिलासपुर (छ.ग.) में प्रवेश हो चुका है, पुस्ति व किं भुजे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सॉ. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पूर्णतः समझा।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।
3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका - 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ। मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि -
- (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका-3 के आता है।
- (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका-3 के अंतर्गत रैगिंग अपराधी श्रेणी में आता हो।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।
6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्ठा किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा का दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....

**शपथकर्ता के हस्ताक्षर**

नाम.....

पता.....

फोन/मोबाइल नंबर.....

### सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)..... (दिन)..... (माह)..... (वर्ष).....

**शपथकर्ता के हस्ताक्षर**